न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 15 सन 2019
अनवान :–

1. रहमत अली पुत्र शेर महोम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

बनाम

1. शाह मोहम्मद 2 ईसराईल पुत्र हाजरा पत्नि गन्नी महोम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी दिपलाना तहसील नोहर।
3. जन्नत पुत्री हाजरा पत्नी गन्नी महोम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी दिपलाना तहसील नोहर ।
4. आयशा पुत्री रमजान जाति तेली मुसलमान निवासी दिपलाना तहसील नोहर।
5. रराजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

6. ,खान मोहम्मद 7 जरीना 8 शौकतअली 9 प्रवीना 10 जाकिर अली , 11 कुरसेदा 12 सिकन्दर पुत्र/पुत्रीयान शेर मोहम्मद जाति तेली मुसलामान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–18.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 43 के खसरा न0 441/273 की 21.08 बीघा भूमि बस्ती पुत्र सुदल के नाम से दर्ज थी जो वर्तमान रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 360/445(50) की किला न0 6/0.227 , 7, ता 14 ,/प्रत्येक 0.253 , किला न0 15/0.227 ,16/0.0885 ख17/0.0885 ,18/1 की 0.0253 ,18/2 की 0. 01265हैक , 19/1 की 0.01265हैक ,19/2 की 0.08855हैक ,20/0.1012हैक , 21/0.253 ,22/0.253 ,23/0.253हैक प0न0 359/445(51) के किला न0 6/0.253 ,14/0.253 ,15/0.253 ,16/0.08855हैक प0न0 0 मु0न0 91/15 की 0/2 की 0.026565हैक गै0मु0 रास्ता , मु0न0 92/29 के किला न0 0 की 0.0506हैक गै0मु0 रास्ता कुल 4.81965 हैक भूमि रमजान , सरीफ , ईसरदीन पि0 बस्ती के नाम से दर्ज हुई

रमजान , सरीफ , ईसरदीन उर्फ उमरदीन तीनों फोत हो चुके एवं रमजान के दो पुत्रिया जैतुन , आयशा व पुत्री हाजरा जो फोत हो चुकी है जिसके दो लडके शाह मोहम्मद , ईसराईल एवं पुत्री जन्नत है इसी प्रकार रमजान की एक पुत्री जैतुन का देहान्त हो चुका है जिसका वारिस रहमत अली खान मोहम्मद , जरीना, श्योकल अली , प्रवीना , कुरसेदा , सिकन्दर है बस्ती के केवल दो ही वारिस थे किन्तु भू0प्रबन्ध विभाग ने सरीफ व ईसरदीन पि0 बस्ती गलत दर्ज किया है जो संशोधन योग्य है बस्ती के पुत्र रमजान एव पुत्री हाजरा थे जिनके फोत होने के बाद उसके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है तथा परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में बस्ती वल्द सादुल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके वारिस रमजान , सरीफ , ईसरदीन उर्फ उमरदीन हुए तीनों फोत हो चुके एवं रमजान के दो पुत्रिया जैतुन , आयशा व पुत्री हाजरा जो फोत हो चुकी है जिसके दो लडके शाह मोहम्मद , ईसराईल एवं पुत्री जन्नत है इसी प्रकार रमजान की एक पुत्री जैतुन का देहान्त हो चुका है जिसका वारिस रहमत अली खान मोहम्मद , जरीना, श्योकल अली , प्रवीना , कुरसेदा , सिकन्दर है इसप्रकार बस्ती, , रमजान , हाजरा , सरीफ, ईसरदीन एवं उनके वारिसान के फोत होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 12 ने अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में बस्ती वल्द सादुल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके वारिस रमजान , सरीफ , ईसरदीन उर्फ उमरदीन हुए तीनों फोत हो चुके एवं रमजान के दो पुत्रिया जैतुन , आयशा व पुत्री हाजरा जो फोत हो चुकी है जिसके दो लडके शाह मोहम्मद , ईसराईल एवं पुत्री जन्नत है इसी प्रकार रमजान की एक पुत्री जैतुन का देहान्त हो चुका है जिसका वारिस रहमत अली खान मोहम्मद , जरीना, श्योकल अली , प्रवीना , कुरसेदा , सिकन्दर है इसप्रकार बस्ती, , रमजान , हाजरा , सरीफ, ईसरदीन एवं उनके वारिसान के फोत होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 95/102 की कुल 4.81965हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 बहिब 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)